कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006
हेल्पलाइन नं0: 1950 और 1800111400
वेबसाइटः www.ceodelhi.gov.in

सार्वजनिक सूचना

सुगम चुनाव

आम जनता को सूचित किया जाता है कि अर्हता तिथि के तौर पर 01.01.2019 के संदर्भ में दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा ।

क्रम संख्या	गतिविधि	तिथि
1.	मतदाता सूचियों का मसौदा प्रकाशन	01.09.2018 (शनिवार)
2.	दावे और आपत्तियां जमा करने की अवधि	01.09.2018 (शनिवार) से 31.10.2018 (बुधवार) तक
3.	दावों और आपत्तियों का निपटान	30.11.2018 (शुक्रवार) तक
4	डेटाबेस अद्यतन और अनुपूरक सूची का मुद्रण	03.01.2019 (बृहस्पतिवार) तक
5.	**मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन**	**04.01.2019 (शुक्रवार)**

युवा समेत सभी पात्र नागरिक जो 01.01.2019 को या उसके पहले 18 साल के होने जो रहे हैं वे 01 सितम्बर, 2018 से 31 अक्टूबर, 2018 के बीच निर्वाचन सूची में अपने नाम शामिल करने का दावा फॉर्म–6 भरकर ऑनलाईन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं । कोई भी व्यक्ति प्रारूप निर्वाचन सूची की असंगतियों पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

सभी मौजूदा मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित स्थानों (Designated locations), एवं मतदाता केन्द्रों, जिनका विवरण मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली की वेबसाइट www.ceodelhi.gov.in पर उपलब्ध है, पर प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचियों में अपने विवरण की जांच कर सकते हैं। सभी फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि केवल मतदाता पहचान–पत्र होने पर किसी भी मतदाता को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है, इसके लिए उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। आप अपना नाम www.ceodelhi.gov.in या www.nvsp.in पर उपलब्ध मतदाता सूची सें जांच कर सकते हैं। आप EPIC<space>Voter id No. टाइप कर 7738299899 पर SMS भेजकर भी अपना नाम जांच सकते हैं।

किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक मतदाता सूची में होना दंडनीय अपराध है। इस स्थिति में कृपया अपना नाम हटाने के लिए फार्म संख्या 07 में आवेदन करें।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया हैल्पलाइन नः 1950 या 1800111400 या हमारी वेबसाइट www.ceodelhi.gov.in देखें।

–ह./–
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली